# प्रथम अध्याय

Regional Institute of Education
LIBRARY
Bhopal

# अध्याय-प्रथम

## शोध परिचय

### 1. प्रस्तावना :-

किसी भी राष्ट्र या देश की शिक्षा प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान शिक्षक का होता है। विद्यालय की उन्नति अथवा विकास के लिए उचित पाठ्यक्रम, श्रेष्ठ पाठ्य पुस्तकें, शैक्षणिक सामग्री, उच्चतम शिक्षा साधन तथा उपयुक्त विद्यालय भवनों की आवश्यकता तो है ही परन्तु उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता है उपयुक्त अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं की वे ही शिक्षा पद्धति को चलाते हैं। अच्छे शिक्षकों के अभाव में किसी भी देश की शिक्षा पद्धति निर्जीव और निस्तेज हो जाती है। इसी तथ्य को समझकर प्राचीन भारत में शिक्षकों को एक विशिष्ट स्थान था। लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में अध्यापकों की स्थिति सोचनीय हो गयी। इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार द्वारा नियुक्त राधाकृष्णन आयोग, मुदालियार और कोठारी आायोग ने इस बात पर बल दिया कि अध्यापकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक दशाओं को सुधारे बिना शिक्षक का उत्तरदायित्व अपूर्ण ही रहेगा। देश के सारे शिक्षाशास्त्री, विद्वान, राजनीतिज्ञ और प्रशासक यह स्वीकार करते हैं कि देश जिस संकट कालीन दौर से गुजर रहा है उसमें अध्यापक ही उसे सम्बल प्रदान कर सकते हैं।

Regional Institute of Education
LIBRARY
Bhopal

### 1.2 शिक्षक की भूमिका :-

"गुरू ब्रह्मा, गुरू विष्णु, गुरूदेवो महेश्वरः।

गुरूः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरूवे नमः।।

बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षक को बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करना पड़त है। कि ही वास्तव में बालक का समुचित शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक ए संवेगात्मक विकास कर सकता है। विद्यालय में शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका निभान पड़ती है। समर्थ विद्यालय योजनाओं को वही व्यावहारिक रूप देता है। अच्छी से अच्छ

शिक्षण पद्धति प्रभाव रहित हो जाती है, किन्तु भले ही आज की विषम परिस्थितियों तथा दावाग्नि की तरह फैले उपभोक्तावाद ने शिक्षक को भी व्यावसायिक बनने को बाध्य है, किन्तु बालक के विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और रहेंगी।

समाज या राष्ट्र की वर्तमान स्थिति में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं और परिवर्तनों के प्रभाव से विद्यालय भी अछूते नहीं रहे जाती है, कि आज भौतिकवादी युग में जहां जीवन की सफलता को समृद्धि, धनसंचय और चमक–दमक के उपकरणों से जोड़ा जा रहा है। वहां शिक्षक के लिए यह कहना सार्थक होगा कि वह समाज का शिल्पी होता है, राष्ट्र विकास की धुरी होता है, देश के भावी कर्णधारों और इनके भविष्य का निर्माता होता है। शिक्षक में ऐसी अनूठी एवं अलौकिक शक्ति है, जिसके बल पर वह बालक में सद्‌गुणों का बीजारोपण कर उसका प्रारब्ध तक बदल सकता है और राष्ट्र के अनुकूल नागरिक तैयार कर सकता है।

"अध्यापक वह प्रकाशपुंज है जो स्वयं जलकर औरों को भी प्रकाश प्रदान करता है।"

–टैगोर

शिक्षक का दायित्व पुस्तकीय ज्ञान देना ही नहीं है, वरन् विद्यार्थी का चरित्र निर्माण करना भी है। शिक्षक एक दिशा–निर्देशक के रूप में होता है। उसके प्यार से ओत–प्रोत वचन, वात्सल्य की फुहार छोड़ते हैं। शिक्षक का ऐसा सखा–सम व्यवहार विद्यार्थी को स्वप्रेरित कर पूर्ण संतुष्टि प्रदान करता है।

प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री रूसों के अनुसार–

"अपने छात्र को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ अपितु उसे अनुभव से सीखने दो। जहां तक संभव हो, क्रिया द्वारा शिक्षण हो, शब्दों का सहारा तभी ले जब कार्य द्वारा पढ़ाना संभव नहीं हो।"

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

**जॉन डी.वी के विचार के अनुसार :**

''शिक्षक सदैव देवता का पैगम्बर होता है। समाज सुधारक एवं समाजसेवक के रूप में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका विद्यालय में ऐसा सामाजिक वातावरण निर्मित करना है, मित्र व पथ–प्रदर्शक के रूप में वह ऐसे अवसर प्रदान करे, जिससे छात्र भाषा, धर्म, रंग, सम्प्रदाय, जाति–व्यवस्थाएं और जैसी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर सही अर्थों में शिक्षा के मुख्य लक्ष्य ''व्यक्ति को इन्सान बनाना'' की प्राप्ति हेतु सक्रिय हो।''

प्रयुक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है, कि विद्यालय जीवन में शिक्षक को अति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शिक्षक को विद्यालय जीवन में ही क्यों, सम्पूर्ण समाज में अति महत्वपूर्ण एवं सम्मान पद स्थान प्राप्त है। यह महत्व निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट होता है।

**भविष्य निर्माता**

डॉ. जाकिर हुसैन के अनुसार – ''वास्तव में शिक्षक हमारे भाग्य निर्माता है। समाज अपने ही विनाश पर उनकी उपेक्षा कर सकता है।

**राष्ट्र का मार्गदर्शक :**

डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षक राष्ट्र के भाग्य के मार्गदर्शक है। शिक्षक बौद्धिक परम्पराओं तथा तकनीकी, कौशलों की पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरण करने में धुरी का कार्य करता है। वह सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षक तथा परिमार्जनकर्ता है। वह बालक का ही मार्गदर्शक नहीं वरन सम्पूर्ण राष्ट्र का मार्गदर्शक है।

**राष्ट्र की उन्नति में स्थान :**

अध्यापक का राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण स्थान है। कहा भी जाता है कि ''एक आदमी हत्या करके एक ही जीवन का अन्त करता है, किन्तु शिक्षक गलत शिक्षा देकर सम्पूर्ण परिवार की हत्या करते हैं तथा सम्पूर्ण राष्ट्र का अहित करते हैं।'' शिक्षक अपने समुचित शिक्षण से ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करते हैं जो राष्ट्र की प्रगति के आधार होते हैं।

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

**शिक्षा का रक्षक :-**

देश या राष्ट्र में प्रचलित शिक्षा का रक्षक भी अध्यापक ही होता है। वास्तव में कोई भी शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं हो सकती है। जिस स्तर के शिक्षक होंगे, उसी स्तर की शिक्षा व्यवस्था होगी। शिक्षा की गुणात्मक स्थिति शिक्षकों की स्थिति तथा गुणात्मक पहलू पर निर्भर है।

वास्तव में छात्रों के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास में अध्यापक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। वह अपने सद् प्रयासों से विद्यार्थी का सफल मार्गदर्शन कर उसे व्यक्तित्व का संतुलित विकास कर उसे सफल नागरिक बनाता हैं इस रूप में वह न केवल बालक का ही कल्याण करता है वरन समूचे समाज तथा राष्ट्र की भलाई करता है। इसलिए तो भारतीय दर्शन में उसे ब्रह्मा स्वरूप शिक्षक ही सृजनात्मक तथा विध्वंसात्सक शक्तियां का प्रदात्ता तथा स्रोत है। इसी की प्रदत्त शिक्षा के आधार पर हम कल्याणकारी तथा विनाशकारी शक्तियां का निर्माण करते हैं। इसीलिये कहा जाता है कि यदि विनाश पर आ जाये तो शिक्षक एक चिकित्सक, भवन निर्माता तथा पुजारी से भी अधिक विनाश कर सकता है। एक अध्यापक के प्रभाव का कहां अंत होगा, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह अपने छात्रों पर अपने प्रभावों की अमिट छाप छोड़ देता है।

**शिक्षक के उत्तरदायित्व :-**

1. कक्षा का प्रबन्ध एवं समुचित शिक्षण देना।
2. छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करना।
3. छात्रों का शैक्षिक एवं चारित्रिक विकास करना।
4. सामाजिक एवं नागरिकता की शिक्षा देना।
5. छात्रों का व्यावसायिक प्रगति का विकास करना।
6. पाठ्यक्रमों सहगामी क्रियाओं का संचालन करना।

## 1.3 विभिन्न शिक्षा आयोगों ने शिक्षकों की स्थिति के बारे में विचार

### कोठारी कमीशन-1964-1966

"आयोग" ने शिक्षक की स्थिति में सुधार करने के लिए जो विचार व्यक्त किये हैं, हम उनका क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

- भारत सरकार द्वारा विद्यालयों के शिक्षकों के न्यूनतम वेतन क्रम निश्चित किए जाने और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल समान और उच्च वेतनमान स्वीकार करने में सहायता करनी चाहिए।
- सरकारी और गैर–सरकारी दोनों प्रकार के विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनक्रमों में समानता के सिद्धान्त का पालन किया जाना चाहिए।
- शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों को कुशलतापूर्वक कार्यकरने के लिए न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
- शिक्षकों की अपनी व्यावसायिक उन्नति करने के लिए उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान की जाना चाहिए।
- शिक्षकों के अध्यापन कार्य के घण्टों को निश्चित करते समय, उनके द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- सरकारी एवं गैर–सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा दशाओं में समानता स्थापित की जानी चाहिए।
- शिक्षकों को बड़े नगरों में मकान के किराये के लिए भत्ता देने की प्रथा आरम्भ की जानी चाहिए।
- शिक्षकों के लिए सरकारी गृह निर्माण योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- शिक्षकों के सभी नागरिक अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
- शिक्षकों में प्रचलित व्यक्तिगत ट्यूशनों की प्रथा को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

- शिक्षकों पर किसी प्रकार के निर्वाचनों में भाग लेने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए।
- शिक्षा के सभी स्तरों पर अध्यापिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- अध्यापिकाओं के लिए ''पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा'' की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1968**

- शिक्षा की गुणवत्ता तथा राष्ट्रीय विकास में योगदान वाले कारकों में शिक्षक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके व्यक्तिगत चरित्र एवं गुणों शैक्षिक योग्यताओं तथा व्यावसायिक अर्हताओं पर ही शिक्षा की सफलता निर्भर है। अतः समाज में शिक्षकों को सम्मानपूर्ण स्थान दिये जायेंगे। उनके वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें इनकी योग्यताओं तथा उत्तरदायित्वों को देखते हुए पर्याप्त तथा सन्तोषजनक होंगी।
- शिक्षकों को स्वतंत्र अध्ययन करने, अनुसंधान करने, अनुसंधान सम्बन्धी निबन्ध प्रकाशित करने तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय समस्याओं पर लिखने या भाषण देने की शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा की जायेगी।
- शिक्षक शिक्षा विशेषकर सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1986**

- सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियाँ बनानी चाहिए जिनसे अध्यापकों को निर्माण और सृजना की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले।
- अध्यापकों को इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वे नये प्रयोग कर सकें और सम्प्रेषण की उपयुक्त विधियों और अपने समुदाय की समस्याओं और क्षमताओं के अनुरूप नये उपाय निकाल सकें।

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

- शिक्षकों की भर्ती प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन किया जायेगा कि उनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर व्यक्ति निरपेक्ष रूप से और उनके कार्य की अपेक्षाओं के अनुरूप हो सकें।
- शिक्षकों का वेतन और सेवा की शर्तें उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्व के अनुरूप हों और ऐसी हो, जिनसे प्रतिभाशाली व्यक्ति शिक्षण–व्यवसाय की ओर आकृष्ट हों। यह प्रयत्न किया जायेगा कि पूरे देश में वेतन में सेवा शर्तों में और शिकायतें दूर करने की व्यवस्था में समानता का वांछनीय उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। शिक्षकों की तैनाती और तबादले में व्यक्ति निरपेक्षता लाने के लिए निर्देशन सिद्धान्त बनाये जायेंगे। उनके मूल्यांकन की एक पद्धति तय की जायेगी जो प्रकट होगी। आंकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित होंगी और जिसमें सब का योगदान होगा। ऊपर से ग्रेड में तरक्की के लिए शिक्षकों को उचित अवसर दिये जायेंगे। जवाबदेही के मानक तय किये जायेंगे। अच्छे कार्य को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- व्यावसायिक प्रमाणिकता की हिमायत करने शिक्षक की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और व्यावसायिक दुर्व्यवहार को रोकने में शिक्षक संघों को अहम् भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षकों के राष्ट्रीय संघ शिक्षकों के लिए एक व्यावसायिक आचार संहिता बना सकते हैं और इसका अनुपालन कर सकते हैं।

## 1.4 शिक्षकों की वर्तमान अवस्था :

शिक्षा प्रगतिशील राष्ट्र की रीढ़ है और शिक्षक शिक्षा–पद्धति में विवर्तनी है। राष्ट्र की प्रगति इसके शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर रहती है। यह बात प्रशंसनीय है कि अध्यापन का व्यवसाय सब व्यवसायों में उत्तम है। पर भाग्य की विडम्बना है कि अध्यापन एक बहुत ही अनाकर्षक व्यवसाय है और शिक्षक समाज में देर से सम्मानीय स्थिति नहीं रखता। भारत में आज शिक्षक आर्थिक दृष्टि से वह निर्धन है, सामाजिक दृष्टि से उसका दर्जा नीचा है, व्यावसायिक दृष्टि से उसका काम कठोर परिश्रम करने का है और प्रशासनिक दृष्टि से उसके साथ बहुत भद्दा व्यवहार किया जाता है।

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

**व्यावसायिक स्थितियाँ :**

व्यवसाय स्वयं अध्यापक के लिए किसी प्रकार का आकर्षक नहीं रखता क्योंकि कुछ दिनों की नौकरी के पश्चात् अध्यापक देखता हे कि उसको उन्नति करने के लिए अवसर नहीं मिल रहे, उसका कार्यभार असाधारण रूप से अधिक है, सेवा शर्तें बहुत बुरी है और प्रशासकों की ओर उसे किसी प्रकार के प्रोत्साहन की आशा नहीं है। अध्यापक को अत्यधिक मानसिक तनाव भी सहन करना पड़ता है, जबकि उस से सप्ताह में 40 घण्टे पढ़ाने की, सह पाठ्यक्रम–क्रियाओं की देखभाल करने की, अनुशासन बनाए रखने की, और भी अनेक कर्तव्य निभाने की आशा की जाती है। इस पर भी उसे सहानुभूतिहीन प्रशासकों की आज्ञाओं सहन करने पड़ते हैं। आकस्मिक स्थानांतरणों, अनुचित रूप से सेवामुक्ति से, वेतनों के मिलने में देर से, वेतन–वृद्धि की देरी से, पदोन्नति की देरी से, छुट्टियों की अस्वीकृति आदि से उसका मानसिक स्वास्थ्य विनष्ट हो जाता है। कभी–कभी उसकी सेवा पुस्तिका, उसकी पदोन्नति अनेक वर्षों तक क्रियात्मक विचाराधीन पड़ी रहती है, इसलिए उच्च अधिकारियों के पास उचित मार्ग द्वारा नहीं पहुंचती और रिपोर्ट जानबूझकर खराब कर दी गई है उसका जीवन समाप्त कर दिया गया है। बस एक शिक्षक के लिए मुझे इतना कहना है कि स्वयं एक शिक्षक है लेकिन वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं जुटा सकता। सम्मानीय व्यवसाय समाज से अपमानजनक टिप्पणियां प्राप्त कर रहा हे। एक मानव निर्माता ने विशेष निर्धनता के द्वारा अपने आप को पशु जीवन मान लिया है। 'ज्ञान का भण्डार' इस बात के लिए कर्तव्य बद्ध है कि वह दूसरों पर ज्ञान को निछावर करे और वे जीवन में उच्च पद प्राप्त करें। बस भाग्य की यह कैसी विड़म्बना है।

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

**सामाजिक स्थितियाँ :**

शिक्षक का समाज में कोई स्थान नहीं है। उसकी स्थिति इतनी निम्न है कि उसे वह सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाती, जो कि शिक्षित समाज व्यापारी कम शिक्षित शिल्पी और दूसरे प्रकार की नौकरियों में कम पढ़े–लिखे लोग प्राप्त करते हैं। सामाजिक उत्सवों में शिक्षक को सबसे पिछला स्थान मिलता है। एक ही परिवार के दो भाइयों में से एक डॉक्टर हो और दूसरा शिक्षक क्रमशः एक को पहले दूसरे को चौथी पंक्ति

मिलेगी। आजकल व्यक्ति अपनी दौलत और आमदनी से जाना जाता और आदर पाता है, न कि अपने योगदान से जो कि वह समाज को प्रदान करता है।

**आर्थिक स्थिति :**

शिक्षकों का आर्थिक स्तर बहुत ही बुरा है। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का आरम्भिक वेतन बहुत ही कम है, और इस प्रकार की तुलना सैंकड़ों कथित छोटे या तुच्छ व्यवसायियों से भी कम नहीं की जा सकती। यहां तक कि सचिवालय में काम करने वाला चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी बेचारे शिक्षक से कहीं उत्तम है।

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

## 1.5 विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याएँ :-

### 1. भौतिक एवं आर्थिक सुविधाओं का अभाव :

सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त भौतिक एवं आर्थिक सुविधा पूरता प्रमाण में उपलब्ध न होने से शिक्षकों की प्राथमिक समस्याओं का प्रमुख रूप दिखाई देता है। प्राथमिक विद्यालयों की हालत किसी से छिपी नहीं है, कि छात्रों की संख्या के अनुसार भवन उपलब्ध कराया, किन्तु उसमें कक्षा कक्ष का अभाव, प्रधानाध्यापक कक्ष, अध्यापक कक्ष, शैक्षिक सामग्री का अभाव, प्रयोगशाला कक्षा, पुस्तकालय कक्षा, खेल मैदान खेल का सामान, मनोरंजन कक्ष एवं सामान, पंखा, बिजली तथा अन्य उपकरणों आदि तो केवल कल्पना की वस्तु है। ये सभी अव्यवस्थाएं होने से शिक्षक का शिक्षणकार्य करने में अधिकतर दिक्कत आती है। इन विद्यालयों के पास अपने व्यवस्थापकों पर निर्भर हैं। एक छोटा सा सामान खरीदने के लिए प्रधानाध्यापक या शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय मे अनेक चक्कर लगाने पड़ते हैं। जबकि निजी विद्यालयों में कोई भी व्यवस्था कम से कम समय में हो जाती है।

### 2. सहायक शिक्षण सामग्री का अभाव :

आज के इलैक्ट्रॉनिक एवं कम्प्यूटर युग में भी सरकार प्राथमिक विद्यालयों मे किसी भी प्रकार की सहायक शिक्षण सामग्री नहीं उपलब्ध की जाती है। बालक इर्स सामग्री के रंग, आकार, प्रकार तथा विभिन्न प्रत्ययों का विकास प्राथमिक स्तर पर शिक्षक कैसे विकसित कर सके बालक जीवन पर्यन्त उस लाभ से वंचित रह जाता है उन

वास्तव में उसे मिलन चाहिए। इसलिये शिक्षक के पास विभिन्न चार्टों, फाइलों, मानचित्रों, चित्रों तथा कुछ करके सीखने के लिए अनेक प्रकार के आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता होती है। परंतु इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पास सहायक शिक्षण सामग्री तथा कार्यानुभव सामग्री का लगभग पूर्ण अभाव होता है।

### 3. पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अभाव :-

बालकों के मानसिक विकास के साथ–साथ उसका शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास होना भी आवश्यक है और इसके लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व सर्वविदित है। सरकारी विद्यालयों में एक–दो छोटे–मोटे खेलों के अलावा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन नहीं कर पाते हैं। इसके विपरीत निजी विद्यालयों में प्रतिदिन कोई न कोई गतिविधि चलती रहती है। जिससे बालकों का समग्र विकास सम्भव हो पाता है। किन्तु शासकीय विद्यालयों में खेलकूद, गीत, संगीत, वाद–विवाद, नाटक, कविता आदि गतिविधियों के लिए बालकों को प्रोत्साहित कर पाने के लिए शिक्षकों के सामने बहुत ही कठिनाई आ जाती है।

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

### 4. समय-समय पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन के कारण :

प्राथमिक विद्यालयों में समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, किन्तु उसके पाठ्यक्रम के उपयोगी सामग्री उपलब्ध न हो पाने से, पाठ्यक्रम पर समय–समय पर विचार गोष्ठियों का आयोजन कर उनक अनुपालन करने में शिक्षकों को अधिक परेशानियां आती है।

### 5. शिक्षकों प्रशिक्षण के प्रति अरूचि :

सरकारी प्राथमिक शिक्षक एक परिस्थिति और पाठ्यक्रम को पढ़ाने तथा अपनी निजी व्यवस्था एवं परेशानियों के कारण शिक्षण में अरूचि प्रदर्शित करते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अवकाश के समय न करके पूरे वर्षभर एक चक्रीय क्रम में किया जाता है एवं प्रशिक्षण अपूरता प्रमाण में प्रदान करने से प्रशिक्षण के प्रति अरूचि होने लगे। साथ–साथ पाठ्यक्रम पूर्ण करने में कठिनाई आती है।

## 1.6 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :-

राष्ट्र के विकास में व्यक्ति का विकास निहित है और व्यक्ति विकास राष्ट्र व विकास में सहायक होता है। आज का नौनिहाल बालक भावी राष्ट्र का निर्माता है अध्यापक समाज का शिल्पी माना गया है। इस दृष्टि से अध्यापक का समाज में भ महत्वपूर्ण स्थान है।

अध्यापक शिक्षा व्यवसाय में उच्च आदर्शों के साथ प्रवेश करता है। वह साद जीवन उच्च विचार को ध्यान में रखकर समाज सेवा में लग जाता है, किन्तु उसके सम्मुख ऐसी विद्यालयीन समस्याएँ आ जाती है, कि भौतिक समस्याएँ, प्रशासनिक समस्याएँ, अकादमिक समस्याएँ एवं आर्थिक समस्याएँ का विद्यालयों में कितना सामन करना पड़ता है।

इस अध्ययन को अध्ययनकर्ता ने इसलिए चुना कि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में समस्याओं पर संशोधन कार्य नहीं हुआ है। शिक्षक राष्ट्र के निर्माण होते हैं। यदि शिक्षकों की समस्याओं की स्थिति रही तो आगामी समय में विद्यालयों में पढ़ाने वाला शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे। एवं पढ़ने के लिए छात्र उपलब्ध होंगे।

Regional Institute of LIBRARY Bhopal

## 1.7 समस्या का कथन

''प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं का अध्ययन''

## 1.8 शोध के चर

### 1. स्वतंत्र चर :-

1. लिंग
2. विद्यालय के प्रकार
3. स्थान
4. अनुभव
5. शैक्षणिक योग्यता
6. व्यावसायिक योग्यता

### 2. आश्रित चर :-

1. भौतिक समस्याएँ
2. अकादमिक समस्याएँ
3. प्रशासनिक समस्याएँ
4. आर्थिक समस्याएँ

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

## 1.9 शोध के उद्देश्य :

1. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में लिंग के आधार पर समस्याओं का अध्ययन करना।
2. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में विद्यालय के प्रकार के आधार पर समस्याओं का अध्ययन करना।
3. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में स्थान के आधार पर समस्याओं का अध्ययन करना।
4. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में अनुभव के आधार पर समस्याओं का अध्ययन करना।
5. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर समस्याओं का अध्ययन करना।
6. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में व्यावसायिक योग्यता के आधार पर समस्याओं का अध्ययन करना।

## 1.10 शून्य परिकल्पनायें :

1. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं में विद्यालय के प्रकार के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं में स्थान के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं में अनुभव के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
5. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।

6. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं में व्यावसायिक योग्यता के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।

## 1.10 शोध समस्या की परिसीमायें :-

शोध समस्या को निम्न सीमाओं तक केन्द्रित रखा गया है।

1. अध्ययन हेतु गुजरात राज्य के दाहोद जिला ही लिया गया है।
2. दाहोद जिला में से तीन तहसील की प्राथमिक विद्यालयों को अध्ययन में शामिल किया गया है।
3. अध्ययन हेतु तीन तहसील में से 41 प्राथमिक विद्यालयों में से 180 कार्यरत शिक्षकों को ही लिया गया है।
4. अध्ययन हेतु ग्रामीण एवं शहरी तथा शासकीय एवं अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को ही लिया गया है।
5. इसमें 36 ग्रामीण क्षेत्र एवं 5 शहरी क्षेत्र की प्राथमिक विद्यालयों को ही शामिल किया गया।
6. इसमें 37 शासकीय एवं 4 अशासकीय विद्यालयों को ही शामिल किया गया है।